# No. A-12018/5/2022-Admn.I Prtg-UD Government of India Ministry of Housing and Urban Affairs Directorate of Printing 'B' Wing, 4th Floor, Minto Road Press Complex, New Delhi

Date: 29th August, 2025

# OFFICE MEMORANDUM

SUB: Inviting comments on the proposed revision/amendment in the Recruitment Rules (RRs) of Group 'C' (Industrial & Non-Industrial) posts of Govt. of India Presses-reg.

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to inform that the Directorate of Printing is in the process of revising/amending Recruitment Rules for the following Group 'C' (Industrial & Non-Industrial) posts of Government of India Process and the contraction of India Process and I

of India Presses under the administrative control of Directorate of Printing:
Sr. No. Name of Post Sr. No. Name of Post

Sr. No.	Name of Post	Sr. No.	Name of Post
1.	U. D. Clerk	12.	Reader
2.	L.D. Clerk	13.	Copy Holder
3.	Stenographer Gr. II	14.	Electrician
4.	Pharmacist	15.	Wireman
5.	Asstt. Caretaker	16.	Welder
6.	Section Holder (Bdy)	17.	Machine Assistant (Offset)
7.	Binder	18.	Machine Attendant (Offset)
8.	Asstt. Binder	19.	Silk Screen Operator
9.	Head Mechanic (P&B)	20.	Asstt. Silk Screen Operator
10.	Mechanic (P&B)	21.	Asstt. Inspector Control
11.	Asstt. Mechanic (P&B)		suspector control

- 2. In accordance with DoPT's OM dated 13.10.2015, The Draft Recruitment Rules (copy enclosed English & Hindi version) for the aforementioned posts are being uploaded on the Directorate of Printing's website for a period of 30 days to invite comments from stakeholders.
- 3. All stakeholders are requested to review the draft RRs and submit their inputs, preferably in a tabular format (Word file), clearly specifying:
  - Column Number
  - Original content
  - Suggested modification

4. The inputs should be submitted no later than 30 days from the date of issue of this OM preferably via email to [sindhu.pillai@gov.in; ashwani.kumar35@gov.in].

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Ishwar Dutt Kashyap)

Deputy Director (A.I)

To

1. Managers of all Government of India Presses with a request to circulate the copies of the Draft RRs for obtaining comments of the stakeholders.

2. The Deputy Manager (P&P Section), Room No. 402-B, Government of India Press Complex Minto Road, New Delhi – 110 002 with a request to upload the Draft RRs on Recruitment cell web page and What's New Tab of the Directorate of Printing's (DoP's) website.

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				पद	वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
					आयु सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	सत्तावन 57* (2024)	सामान्य केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग' अराजपत्रित	4 (25,500-81,100 ₹)			
	परिवर्तनीय)	अनुसचिवीय				

सीधे भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पदधति भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनिय्क्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	किन परिस्थितियों में संघ
वाले व्यक्तियों के लिए			दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनिय्क्ति या		लोक सेवा आयोग से परामर्श
विहित आयु और शैक्षिक	, ,	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	]		किया जाएगा
अर्हताएं प्रोन्नत		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा			
व्यक्तियों की दशा में		भरी जाने वाली रिक्तियों की			
लागू होगी या नहीं		प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने	प्रोन्नति:	समूह'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
·		पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
		-	2 (19,900 - 63,200) में आठ वर्ष की नियमत सेवा	1 उप-निदेशक (प्रशासन/	
			की हो।	मुख्यालय) महाप्रबंधक या प्रबंधक	
			टिप्पण-1:	भारत सरकार मुद्रणालय	
			जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी	–अध्यक्ष	
			अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/	
			जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा	प्रौद्योगिकीविद	
			बशर्तें कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा एक	–सदस्य	
			वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक	
			की अवधि यदि विहित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली	(प्रशासन)	
			हो।	–सदस्य	
			टिप्पणी-2:प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की		
			गणना करने के प्रयोजन के लिए		
			01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय		
			वेतन आयोगकी सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित		
			वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, अधिकारी		

दवारा नियमत आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समत्ल्य ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण1: प्रतिनिय्क्ति/आमेलन पर निय्क्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्यहेत् 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्नरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, अधिकारी दवारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2: प्रतिनिय्क्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकारके उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस निय्क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनिय्क्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्षसे अधिक नहीं होगी। प्रतिनिय्क्ति पर निय्क्ति के लिए अधिकतम आय् सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिको 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>अनुसूची</u>

					<u>अनुसूचा</u>	
पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतनमैट्रिक	स चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
			में स्तर	अचयन पद	•	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी	तिरासी 83* (2024)	सामान्य केन्द्री	ा वेतन	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से
लिपिक		सेवा, समू	र मैट्रिक्स	में	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या	12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण।
	(कार्यभार के आधार	'ग'अराजपत्रित	स्तर	2	आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य	
	पर परिवर्तनीय)	अनुसचिवीय	(19,900	-	अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष और	अंग्रेजीमें 35 शब्द प्रति मिनट की गतिसे अथवा
			63,200)		अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा	हिन्दीमें 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप
					में 45 वर्ष की जाएगी)	परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।
					टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	المائد المعالم
					तिथि कर्मचारी आयोग द्वारा यथानिर्धारित तिथि होगी	(प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव के औसत
					(जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाएगी,	से 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटाहिन्दी में 9000
					वहां अन्तिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	कुंजी दबाव प्रति घंटा अंग्रेजी के अनुरूप है)
					करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि	
					वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-	
					कश्मीर राज्य के लददाख खंड, हिमाचल प्रदेशके लाहौल	
					और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	
					संघक्षेत्र अण्डमानऔर निकोबार द्वीप समूह या संघक्षेत्र	
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)	
					. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

सीधे भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धिति, भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति या प्रतिनिय्क्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	किन परिस्थितियों
वाले व्यक्तियों के	अवधि, यदि	प्रोन्नति द्वाराया प्रतिनिय्क्ति/आमेलन	वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया		में संघ लोक सेवा
लिए विहित आय्	कोई है	दवारा तथा विभिन्न पदधतियों दवारा	जाएगा		आयोग से
और शैक्षिक अर्हताएं		भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			परामर्श किया
प्रोन्नत व्यक्तियों की					जाएगा।
दशा में लागू होगी या					
नहीं					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जी हां, स्तम्¥ा (10)	सीधे भर्ती	(i)85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के	<u>प्रोन्नतिः</u>	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता
में उपदर्शित की गई	वालों के लिए	माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में उक्त पद पर 3 वर्ष की नियमित	समिति अथवा पुष्टि समिति	
सीमा तक	दो वर्ष		सेवा सहित समूह 'ग' कर्मचारी (गैर औद्योगिक)	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	

(ii) कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत वेतन **टिप्पण-1**: तथा जिन्होंने उक्त वेतन मैट्रिक्स में तीन कर ली हो। वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अन्सूचित जातियों तथा अन्सूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष)

(iii) 5 प्रतिशत सम्रह 'ग' कर्मचारियों (गैर औदयोगिक) में से भरा जाएगा जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में उक्त पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा है जैसा कि सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कॉलम 7 में निर्दिष्ट है।

उपरोक्त (ii) और (iii) के असफल होने पर सीधी भर्ती दवारा

टिप्पण: यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अधिक कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पहले विचार किया जाए।

मैटिरक्स में स्तर 1 में समूह 'ग' के जहां प्रोन्नित के लिए ऐसे किनष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या मुख्यालय) महाप्रबंधक कर्मचारियों (गैर औदयोगिक) में से पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे विरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित कर्मचारियों में से भरा जाएगा जो 12वीं अर्हक या पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता वालेहों अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित है सफलतापूर्वक पूरी

## <u>टिप्पणी-2:</u>

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्नरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगीं

### विभागीय अर्हक परीक्षा:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में समूह 'ग' (गैर आद्योगिक) कर्मचारी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता रखते हैं तथा जिन्होंने इस वेतन ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

### समावेशन:

सीधी भर्ती से पहले एल.डी.क्लर्क के पद पर समावेश के लिए एमटीएस (लेवल -1) यानी ग्र्प 'सी' (गैर-औद्योगिक कर्मचारी) के पद रखने वाले अधिकारियों को एक बार की छूट दी जा सकती है।

- उप-निदेशक (प्रशासन/ प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय -अध्यक्ष
- प्रौदयोगिकीविद

–सदस्य

3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)

–सदस्य

अनुसूची

				•		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्टिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक ग्रेड II	05 (पाँच) (2024) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500- 81100 रु)	लाग् नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 तक शिथिलनीय है)  िटप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी आयोग द्वारा विजापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण। (ii) दक्षता परीक्षा के मानदंडः श्रुतलेखः 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट। प्रतिलेखनः कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी)

22 - 42 > > >		- 4 0 - 0 - 4 03 3 0	, , , , , , , ,	00.0.0	0 00-0 % % :
सीधे भर्ती किये जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति	किन परिस्थितियों में संघ
व्यक्तियों के लिए विहित आयु	कोई है	या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति	आमेलन द्वारा भर्ती की दशा	समिति है, तो उसकी संरचना	लोक सेवा आयोग से परामर्श
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत		/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न	में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति	क्या है?	किया जायेगा
व्यक्तियों की दशा में लागू		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन		
होगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता	न किया जाएगा		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		भर्ती के माध्यम से।			
		टिप्पण:			
		प्रतिनिय्क्ति या लम्बी बीमारी या			
		अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी			
		परिस्थिति के अंतर्गत पदधारी द्वारा			
		एक वर्ष या अधिक अवधि की छुट्टी			
		के कारण हुई रिक्तियां प्रतिनियुक्ति			
		के आधार पर केन्द्रीय सरकार में			
		नियमित आधार पर सदश पद धारण			
		कर रहे अधिकारियों जो स्तम्भ 7			
		में सीधी भर्ती के लिए विहित			
		अर्हताएं रखते हों में से भरी जा			
		सकेंगी।			

अन्सूची

पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतनमैट्रि	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय्	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
194 111 -11-1	19(10-11	4 11 17 1	क्स में	अथवा अचयन	सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			स्तर	पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. भेषजी	08* (2023)	साधारण केन्द्रीय	वेतन	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से
	(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	मैट्रिक्स में स्तर 5 (Rs.2920 0-92300)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आादेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिलनीय है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेशके लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, संघक्षेत्र अण्डमानऔर निकोबार द्वीप समूह या संघक्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)	12वीं तथा साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा भेषजी परिषद या राज्य भारतीय भेषजी परिषद में रजिस्टर्ड। (ii) अनुभवः किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक

क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा अवधि,	भर्ती का तरीका। सीधी	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तो वे ग्रेड	विभागीय प्रोन्नति समिति यदि है	परिस्थितियों जिनमें
लिए निर्धारित	यदि कोई है तो	भर्ती अथवा पदोन्नति	जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	तो उसकी क्या	भर्ती करने से संघ
आयु एवं वांछनीय		अथवा		संरचना है	लोक सेवा आयोग से
शैक्षिणिक		प्रतिनियुक्ति/समावेश न			परामर्श की
योग्यताएं पदोन्नत		द्वारा एवं विभिन्न			आवश्यकता हैं
कार्मिकों पर भी		माध्यमों से भरी जाने			
लागू हैं		वाली रिक्तियों का प्रतिशत			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती वालों के	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न	प्रतिनियुक्ति :	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
	लिए दो वर्ष	होने पर प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
		द्वारा	स्वायत्तशासी निकायों या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी:	1. उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय)	
			क.(i) जो नियमित आधार पर सद्रश पद धारण कर रहे हैं,	अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक,	
			(ii) वेतन मैटि्रक्स में स्तर 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा	भारत सरकार मुद्रणालय – <b>अध्यक्ष</b>	
			वाले पदधारी	Ü	
			ख.स्तंभ 7के अंतर्गत सीधीभर्ती वालों के लिए विहित अर्हताएं	2. वरिष्ठतम उप प्रबंधक/	
			तथा अनुभव रखते हों।	प्रौद्योगिकीविद्)- <b>सदस्य</b>	
			टिप्पण1:		
			प्रतिनिय्क्ति/आमेलनपर नियक्ति के प्रयोजन के लिए	3. वरिष्ठतम सहायक प्रबंधक	
			न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उददेश्य हेत्01 जनवरी,	(प्रशासन) - <b>सदस्य</b>	
			2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की		
			सिफारिशों के आधार पर प्नरीक्षित वेतन संरचना का		
			वस्तारित किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार		
			पर की गई सेवा का उक्त वेतन आयोग की सािफारिशों पर		
			आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रक्सि के स्तर में की		
			गई सेवा समझी जायेगी।		
			टिप्पणी 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय		
			सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस		
			नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद		
			पर प्रतिनिय्क्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन		
			वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए		
			अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि		
			को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

अन्सची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद अथवा	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य
			वेतनमान	अचयन पद	सीमा	अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक	चार 04* (2024)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	सताईस वर्ष से अधिक	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या
केयरटेकर		समूह 'ग' अराजपत्रित,	स्तर 2 (19,900-		नहीं।	समकक्ष से इंटरमीडियट या समकक्ष;
	*(कार्यभार के	अननुसचिवीय	63,200/- ড)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	(2) कार्यालय भवन के रखरखाव तथा देखभाल का दो
	आधार पर	-			जारी अनुदेशों या आदेशों	वर्ष का अनुभव।
	परिवर्तनीय)				के अनुसार सरकारी	वांछनीयः
					कर्मचारी को चालीस वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता में डिप्लोमा
					तक छूट दी जा सकती है।)	या प्रमाणपत्र।
					<b>टिप्पण:</b> आयु सीमा	
					निर्धारित करने के लिए	
					निर्णायक तिथि आवेदन	
					प्राप्त करने की अंतिम	
					तिथि होगी।	

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं वांछनीय शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों पर भी लागू हैं	अवधि, यदि कोई	_	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित/प्रतिनियुक्ति/समावेशन	विभागीय प्रोन्निति समिति यदि है तो उसकी क्या संरचना है	परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता हैं
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्तिः——	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति/ पुष्टि समिति में निम्निलिखित होंगे:  1. उप निदेशक (प्रशासन/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय  -अध्यक्ष  2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या प्रौद्योगिकीविद  -सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबन्धक (प्रशासनिक)  -सदस्य  रिप्पण—यदि किसी मुद्रणालय का उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी अधिकारी जो समीप की किसी अन्य प्रैस में नियमित आधार पर इसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी संदर्भ के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल कियाजा सकता है। समीप का प्रैस वह है जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)	उन्नतीस (29)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षी) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का पांचवां स्तर (29200- 92300/- रु.)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।  टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यकः  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2  (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सम तुल्य।  (iii) किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय या संस्था में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव जिसके अन्तर्गत किसी मुद्रणालय के जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव हो।  टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जार्य कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति,	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों
जाने वाले	अवधि, यदि	भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		में संघ लोक सेवा
व्यक्तियों के	कोई है	प्रोन्नति द्वारा या			आयोग से परामर्श
लिए विहित आयु और शैक्षिक		प्रतिनियुक्ति/			किया जायेगा।
		आमेलन द्वारा तथा			
अर्हताएं प्रोन्नत		विभिन्न पद्धतियों			
व्यक्तियों की		द्वारा भरी जाने			
दशा में लागू होगी		वाली रिक्तियों की			
या नहीं	(0)	प्रतिशतता	(4.4)	(4.0)	(10)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती	शत-प्रतिशत	प्रोन्नित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति	लागू नहीं होता
	किए जाने	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर (25500-81100/ - रुपये) में ऐसे जिन्दसाज जिन्होंने	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
	वाले	जिसके न हो सकने	उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर बाइंडर के ग्रेड में		
	व्यक्तियों के	पर प्रतिनियुक्ति	नियमित सेवा के साथ पे लेवल-2 (रु. 19900-63200) में बाइंडर और	1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक	
	लिए दो वर्ष	द्वारा दोनों के न हो	असिस्टेंट बाइंडर की तेरह साल की संयुक्त सेवा की है।	(प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या	
		सकने पर सीधी	टिप्पणी-1:	प्रबंधक - अध्यक्ष	
		भर्ती द्वारा	जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी		
			कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य	
			संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक		
			या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य	
			इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,		
			जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में	टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वीक्त पदधारी उपलब्ध नहीं	
			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के	
			टिप्पणी-2:	किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से	
			प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी	कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना	
			अधिकारी दवारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय	विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा	
			वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित	समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे	
			उ किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों	म्द्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	
			पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी	, "	
			जायेगी।		
			प्रतिनियुक्तिः-		
			केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -		
			(i) जो वेतन मैट्रिक्स के 5वें स्तर (29,200-92,300/- रु) में नियमित आधार पर		
			सहश पदधारण किए हए हैं; या		
			त्रध्य प्रदयारण किए हुए हैं, या		

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर (25,500-81,100/- रु) में उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है और जिन्होंने जिलद्साजी का दो वर्षों का अन्भव प्राप्त हो टिप्पणी -1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिक्ति पर निय्क्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी -2: प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस निय्क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहनय पद पर प्रतिनिय्क्ति की अविध है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी -3: प्रतिनिय्क्ति द्वारा निय्क्ति के लिए अधिकतम आय् सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी -4: प्रतिनिय्क्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्नरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व प्नरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स के स्तर में सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में इसी स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
			स्तर	अथवा	लिए आयु सीमा	
				अचयन पद	J.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. जिल्दसाज	एक सौ तीस (130) <sub>*</sub>	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक:
	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर 4 (25,500-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या
		(अति कुशल)	81,100 रुपये)		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	समतुल्य और
	*(कार्यभार के आधार	अराजपत्रित			सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(ii) कानूनी इकाई वाले प्रिंटिंग प्रेस में दो साल के अनुभव के
	पर परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय			तक की जा सकती है)	साथ बाइंडिंग ट्रेड में आईटीआई का एनसीवीटी प्रमाणपत्र
	सकता है।)					(अथवा)
					<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने	(ii) बाइंडिंग ट्रेड में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52)
					के लिए निर्णायक तारीख भारत में	के तहत प्रशिक्षुता के सफल समापन का प्रमाण पत्र / कानूनी
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	इकाई वाले प्रिंटिंग प्रेस में तीन साल के कार्य अनुभव के साथ
					नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (बाइंडिंग ट्रेड) में 12वीं कक्षा के स्तर पर
					कि वह अंतिम तारीख जो असम,	व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सफल समापन का प्रमाण पत्र; और
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,	
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,	(iii) संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना।
					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	वांछनीय: किसी मुद्रणालय अथवा वैधानिक संस्थान के
					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।
					अण्दमान और निकोबार द्वीप या	
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित	टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					की गई है।	कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल
						की जा सकती है।
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम	
					से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु	<u>टिप्पण २</u> :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन
					सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या
					तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल
					रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए	की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन
					कहा गया है।	आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित
						रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन
						समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
						सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	किन परिस्थितियों में
वाले व्यक्तियों के लिए	अवधि, यदि कोई	होगी या प्रोन्नति दवारा या	श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनिय्क्ति या आमेलन किया	है, तो उसकी संरचना	संघ लोक सेवा
विहित आयु और	, ₹	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	जाएगा।		आयोग से परामर्श
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त		् तथा विभिन्न पद्धतियों			किया जायेगा।
व्यक्तियों की दशा में		द्वारा भरी जाने वाली			
लागू होगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि	लागू नहीं होता
	जाने वाले	जिसके न हो सकने पर सीधी	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु) में ग्रेड में	समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
	व्यक्तियों के लिए	भर्ती द्वारा;	आठ वर्षों की नियमित सेवा कर चुके सहायक जिल्दसाज		
	दो वर्ष		जिन्होंने ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया है।	1. भारत सरकार मुद्रणालय के	
		(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती		उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रम्ख)	
		द्वारा जिसके न हो सकने पर	टिप्पणी-1	अथवा महा प्रबंधक या <b>प्रबंधक</b>	
		प्रतिनियुक्ति द्वारा।	जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक	-अध्यक्ष	
			या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/	
		(ऐसे कार्मिकों को वरीयता दी	रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	प्रौद्योगिकीविद	
		जाएगी जिन्हें समान ग्रेड स्तर	जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या	-सदस्य	
		पर अधिशेष कार्यबल घोषित	पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक	
		किया गया है और जिनका	से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	(प्रशासन)	
		पुनर्नियोजन/पुनरपदचयन	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या	-स <b>दस्य</b>	
		होना है।)	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में		
			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी		
			कर ली हो।	<b>टिप्पण</b> - यदि किसी मुद्रणालय का	
				पूर्वीक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है,	
			टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना	तो उसी पदनाम तथा हैसियत का	
			करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,	ऐसा पदधारी जो समीप के किसी	
			2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन	अन्य मुद्रणालय में नियमित	
			आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का	आधार पर उसी हैसियत से कार्य	
			विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को	कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के	
			उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित	किसी निबंधनों के बिना विभागीय	
			तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।	प्रोन्नति समिति में शामिल किया	
				जा सकता है तथा समीप के	
			प्रतिनियुक्तिः-	मुद्रणालय वह है जो प्रोन्नति पर	
			केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -	विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे	
				कम दूरी पर स्थित है।	

(i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500-81100 रू) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

(ii) बाइंडिंग कार्य में दो वर्ष का अन्भव

टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिकित पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद ( उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य
			स्तर	अचयन पद	लिए आय् सीमा	<b>अ</b> र्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक	दो सौ बासठ (262)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक:
जिल्दसाज	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2 (19,900-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये	
		(कुशल) अराजपत्रित	63,200 रुपये)		अन्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन
	*(कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय			सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक	(दसवीं पास) या समतुल्य और
	पर परिवर्तन किया जा				की जा सकती है)	(ii) जिल्दसाजी व्यवसाय में शिक्षु अधिनियम,
	सकता है।)					1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता
					टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के	सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र; या
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों	(iii) मुद्रण प्रौद्योगिकी के किसी जिल्दसाजी
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की	व्यवसाय में 12वीं स्तर पर व्यावसायिक
					गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम	पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने का
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	प्रमाण पत्र।
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,	(iv) संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	करना।
					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	
					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित
					अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन
					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।	आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल
						की जा सकती है।
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से	
					की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा	टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के
					वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित
					कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया	जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब
					है।	शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी
						प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम
						अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित
						रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव
						रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना
						नहीं है
						ן אף פ

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले टयक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 15 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10 प्रतिशत मुद्रणालय के श्रेणी 'ग' अनौद्योगिक कर्मचारियों (लेवेल-1) से प्रोन्निति द्वारा, ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने पर। (iii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्निति द्वारा।	प्रोन्नित (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000- 56900 रु) में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए जिल्द्रसाजी अनुभाग में काम करने के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने पर। (ii) मुद्रणालय के स्तर 1 के ग्रेड 'सी' गैर औद्योगिक कार्मिक जिन्होंने नियमित आधार पर पदोन्नित पश्चात वेतन मैट्रिक्स के पहले स्तर में (18000-56900 रु) व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।  िटप्पणी-1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध	अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी प्रौद्योगिकीविद -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से	लागू नहीं होता

सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे से सबसे कम दूरी पर स्थित है। ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त् यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्नरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित

तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।


पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
नाम			में स्तर	अथवा		
				अचयन पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. प्रधान	चार (04) *	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	अवाश्यकः
मैकेनिक	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	में 5वां स्तर		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2
(मुद्रण एवं	*(कार्यभार के	(पर्यवेक्षी)	(29,200/		के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी
जिल्द-	आधार पर	अराजपत्रित	92300/-)		तक की जा सकती है।	में तीन वर्ष का डिप्लोमा;
साजी)	परिवर्तन	अननुसचिवीय			टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	(iii) किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था/मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-
	किया जा				तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	रखाव/मरम्मत करने का तीन वर्ष का अनुभव।
	सकता है)				नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख	वांछनीय:
					जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	(i) मुद्रण तथा जिल्दसाजी उपस्करों में प्रयोग होने वाले विद्युत या इलेक्ट्रानिक संघटकों का ज्ञान।
					नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दषा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार	जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।	टिप्पण 2:- अन्भव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकान्सार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
					भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के
					तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों	लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए
					से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
						पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति, भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	किन परिस्थितियों
वाले व्यक्तियों के	अवधि, यदि	सीधे होगी या प्रोन्नति	आमेलन किया जाएगा।	उसकी संरचना	में संघ लोक सेवा
लिए विहित आयु	कोई है	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/			आयोग से परामर्श
और शैक्षिक अर्हताएं		आमेलन द्वारा तथा			किया जायेगा।
प्रोन्नत व्यक्तियों		विभिन्न पद्धतियों			
की दशा में लागू होगी		द्वारा भरी जाने वाली			
या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

लागू नहीं	सीधे भर्ती	प्रोन्नति द्वारा जिसके	प्रोन्नतिः-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
. होता	किए जाने	न हो सकने पर	वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर (25,500/ 81,100/-) में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिन्दसाज) जिन्होंने उस श्रेणी	, /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें	``
	वाले	प्रतिनिय्क्ति द्वारा	में पांच वर्ष सेवा की है।	निम्नलिखित होंगे:	
	व्यक्तियों के	दोनों के न हो सकने पर	टिप्पणी-1:		
	लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए	1. भारत सरकार मुद्रणालय के	
			विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त् यह तब जबकि	उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय	
			उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें	प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या	
			से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा	प्रबंधक - अध्यक्ष	
			पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी		
			कर ली हो।	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/	
			टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा	प्रौद्योगिकीविद - सदस्य	
			01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
			पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक	
			त्रिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।	(प्रशासन) - सदस्य	
			प्रतिनियुक्तिः-		
			केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -	टिप्पण-यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वीक्त	
			(i) मूल काडर में मैकेनिकल मरम्मत कार्य में दो वर्षों के अनुभव सहित नियमित आधार पर सदृश पदधारी	पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम	
			अथवा जो वेतन मैट्रिक्स के पाँचवे स्तर में नियमित आधार पर प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्द -	तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के	
			साजी) पदधारण किए ह्ए हैं या	किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार	
			(ii) वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर में ऐसे मैकेनिक (म्द्रण एवं जिल्दसाजी) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा	पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण	
			की है।	निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना	
			टिप्पणी -1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिकित पर निय्क्ति	विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया	
			कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए	जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह	
			विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।	हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय	
			टिप्पणी -2: प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग	से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	
			में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्नय पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया		
			तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पणी -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख		
			को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पणी -4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन कि लिए किसी अधिकारी द्वारा 01		
			जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिषों पर आधारित पुनरीक्षित		
			वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशाके, जहाँ एक से		
			अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स के स्तर में सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया		
1			है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में इसी स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।		

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)	बारह (12)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसचिवीय अति कुशल कर्मकार श्रेणी ।	वेतन मैट्रिक्स में चौथा स्तर (25,500 – 81,100/-)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्यः (iii) किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-रखाव या मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव। (iv) संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना।  टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

		आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(11)	(12)	(13)
सरे स्तर (19,900-63200/-) में ऐसे सहायक मैकेनिक (मुद्रण और ने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है जो अर्हक सेवा उत्तीर्ण में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है जो अर्हक सेवा उत्तीर्ण मिन्तयों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर तेए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में वेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा ात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, ने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता र ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की क पूरी कर ली हो।  के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए रा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिसस 7वें केन्द्रीय फारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया साधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर की गई सेवा समझी जायेगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलेखित होंगे:  1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष  2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य  टेट्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लाग् नहीं होता
मेगा 13त र र्ल क पू जिस्माधा तत	परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा ता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, तपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जि <u>न्होंने</u> ऐसी अर्हक या पात्रता तो है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की री कर ली हो। लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिसस 7वें केन्द्रीय रिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया ार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर की गई सेवा समझी जायेगी।	परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा तो सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, पपने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता तो है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की र्रो कर ली हो।  लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिसस 7वं केन्द्रीय रिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया रा पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर की गई सेवा समझी जायेगी।  सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य  देव्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।



		_~_	<u> </u>	Jigktai		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और
			वेतन स्तर	अथवा	आयु सीमा	अन्य अर्हताएँ
				अचयन पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. सहायक	अट्ठारह (18)∗	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक:
मकैनिक	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2 (19,900-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये	
(मुद्रण एवं		(कुशल) अराजपत्रित	63,200 रुपये)		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन
जिल्दसाजी)	*(कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय			के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा	(दसवीं पास) या समतुल्य और
	पर परिवर्तन किया जा				सकती है)	(ii) किसी वैधानिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय
	सकता है।)					से आफ़सेट मुद्रण के व्यवसाय में एक वर्ष
					<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के	अनुभव सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	से मकैनिकी में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	
					अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख	वांछनीय: किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था
					जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,	उपस्करों के रख-रखाव या मरम्मत करने का
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	एक वर्ष का अन्भव।
					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	
					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	<u>टिप्पण 1</u> :- अर्हताएं, अन्यथा स्अर्हित
					अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन
					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।	आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकान्सार
						शिथिल की जा सकती है।
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से	
					की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा	<u>टिप्पण २</u> :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह	
					अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित
					कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया	जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब
					है।	शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी
						प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम
						अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए
						आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित
						अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों
						के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
						सम्भावना नहीं है
<u> </u>	1			L		

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति। आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती	प्रोन्नित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -1 (18000 - 56900 रुपये) में श्रमिक/औद्योगिक परिचारक, जिन्होंने ट्रेड टेस्ट उतीर्ण करने के अधीन नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या	लागू नहीं होता
		द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्निति द्वारा।	टिप्पणी-1 जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।  टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन औयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तिस्यानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।	प्रबंधक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  िटप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. रीडर	उन्नतीस (29)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल कर्मकार श्रेणी) अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैंट्रिक्स का स्तर 4 (25,500- 81,100/-)	अचयन पद	21 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।)  टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।  टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्षः; (ii) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय में प्रयोग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और (iii) किसी कानूनी इकाई वाले ऑफसेट मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का ज्ञान;  टिप्पण 1:- अन्यथा पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है।  टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों या अनुस्चित जन-जातियों के अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं)। जब चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति विद्यमान है, इसकी संरचना क्या है	किन परिस्थितियों में संघ आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती	(i) 50 प्रतिशत सीधी	प्रोन्नति	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय	लागू नहीं होता
होता	किए गए	भर्ती द्वारा जिसके न	(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में (19,900-63,200/- रुपये) कापी होल्डर जिसने	पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
	व्यक्तियों के	होने पर पदोन्नति	इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर आठ वर्ष तक इसी ग्रेड में		
	लिए दो वर्ष	द्वारा;	कार्य किया हो जो व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन है।	1. भारत सरकार मुद्रणालय के	
		_	(ii) कॉपी होल्डर के पद में चार वर्ष की नियमित सेवा करने वाला कापी होल्डर	उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख)	
		(ii) 35 प्रतिशत	विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा के लिए पात्र होगा।	अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -	
		पदोन्नति द्वारा	टिप्पण-1 जहां प्रोन्नित के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	अध्यक्ष	
		जिसके न होने पर	सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया		
		प्रतिनियुक्ति द्वारा	जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा इस प्रकार की अर्हक या	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/	
		दोनों के न होने पर	पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो से अधिक कम न हो	प्रौद्योगिकीविद - सदस्य	
		सीधी भर्ती द्वारा;	तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने इस प्रकार की अर्हता या पात्रता सेवा पहले		
			ही पूरी कर ली है के साथ-साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	
		(iii) 15 प्रतिशत मुद्रण	परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	- सदस्य	
		निदेशालय द्वारा	<u>टिप्पण-2</u> प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य		
		संचालित की जाने	हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस तारीख से नियमित	टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का उपरोक्त	
		वाली विभागीय	आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर	अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसी पदनाम तथा	
		प्रतियोगी रीडरशिप	आधारित तदनुरूप ग्रेड पे अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा	हैसियत का ऐसा पदधारी अधिकारी जो समीप की	
		परीक्षा के माध्यम से	जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढ़ांचे	किसी अन्य प्रैस में नियमित आधार पर इसी	
		पदोन्नति द्वारा।	का विस्तार किया गया है।	हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के	
				किसी संदर्भ के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में	
			प्रतिनियुक्ति:-	शामिल किया जा सकता है। समीप की प्रैस वह है	
			केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत निकाय अथवा	जा प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे	
			राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी –	कम दूरी पर स्थित है।	
			(विभाग/मुद्णालय सहित) में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हो।		

(अथवा) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में नियमित आधार पर सदश पदधारी हो व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन है। टिप्पण-1 फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनिय्क्ति के आधार पर निय्क्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनिय्क्ति के आधार पर कार्य कर रहे अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। <u>टिप्पण-2</u> प्रतिनिय्क्ति की अवधि, जिसकें अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनिय्क्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। <u>टिप्पण-4</u> प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य हेत् किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदन्रूप ग्रेड पे अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढ़ांचे का विस्तार किया गया है सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड-पे/वेतनमान वाले एक ग्रेड में समाहित किया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

अन्सूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और
			स्तर	अथवा	आयु सीमा	अन्य अर्हताएँ
				अचयन पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. कॉपी	उन्नतीस (29)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन पद	21 से ३० वर्ष के बीच।	आवश्यकः
होल्डर	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2 (19,900-			(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
		(कुशल) अराजपत्रित	63,200 रुपये)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों	डिग्री या समतुल्य;
	*(कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय			या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	(2) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय
	पर परिवर्तन किया जा				शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)	में प्रयोग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में
	सकता है।)					प्रवीणता; और
					<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए	(3) किसी विधिक अस्तित्व वाले किसी
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	मुद्रणालय में प्रूफ रीडर के रूप में एक वर्ष
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	का अनुभव।
					होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	<u>टिप्पण 1</u> :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित
					नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य	अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन
					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और	आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	शिथिल की जा सकती है।
					अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<u>टिप्पण</u> 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)
						कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के
					<u>टिप्पण 2</u> :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या
					जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह	में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन
					अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों	के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन
					से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि
						उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के
						लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन
						समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
						उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनिय्क्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	किन परिस्थितियों में संघ
जाने वाले	कोई है	होगी या प्रोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती कि	संरचना	लोक सेवा आयोग से
व्यक्तियों के लिए	, ,	प्रतिनिय्क्ति/ आमेलन	दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे		परामर्श किया जायेगा।
विहित आयु और		द्वारा तथा विभिन्न	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या		
शैक्षिक अर्हताएं		पद्धतियों द्वारा भरी जाने	आमेलन किया जाएगा।		
प्रोन्न्त व्यक्तियों		वाली रिक्तियों की			
की दशा में लागू		प्रतिशतता			
होगी या नहीं					
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें	लागू नहीं होता
	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	द्वारा।		निम्नलिखित होंगे:	
				1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक	
				(प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक	
				-अध्यक्ष	
				2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद -सदस्य	
				3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य	
				<b>टिप्पण</b> - यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी	
				उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का	
				ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मृद्रणालय	
				में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर	
				रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के	
				बिना विभागीय पृष्टि समिति में शामिल किया जा	
				सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति	
				पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर	
				स्थित है।	

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य
			वेतन स्तर	अचयन पद	लिए आयु सीमा	<b>अर्हता</b> एँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	सात (07)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
मिस्त्री	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर 4 (25,500-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2
		(अति कुशल)	81,100 रुपये)		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से
	*(कार्यभार के आधार	अराजपत्रित			सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक	विद्युत या विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी में तीन वर्ष
	पर परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय			की जा सकती है)	का डिप्लोमा या समतुल्य;
	सकता है।)					(या)
					<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के	
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों	भूमिगत केबल प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के उच्च
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की	दाब तथा निम्न दाब वाले दोनों विद्युत प्रतिष्ठान को
					गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम	चलाने या उनके अनुरक्षण के पांच वर्ष के अनुभव के
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल	साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,	या विद्युत सक्षमता प्रमाण पत्र।
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	
					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	
					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की
					अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के
					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					<u>टिप्पण 2</u> :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम	<u>टिप्पण २</u> :- अन्भव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी
					से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु	चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकान्सार
					सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
					तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है
					रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए	जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन
					कहा गया है।	आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए
						आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अन्भव
						रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त
						संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	किन परिस्थितियों
वाले व्यक्तियों के लिए	यदि कोई है	होगी या प्रोन्नति द्वारा या	वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	उसकी संरचना	में संघ लोक सेवा
विहित आयु और	, ,	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	जाएगा।		आयोग से
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त		द्वारा तथा विभिन्न			परामर्श किया
व्यक्तियों की दशा में		पद्धतियों द्वारा भरी जाने			जायेगा।
लागू होगी या नहीं		वाली रिक्तियों की			
,		प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति	लागू नहीं होता
,	जाने वाले	जिसके न हो सकने पर सीधी	वेतन मैट्रिक्स के स्तर2(19,900-63,200रु)में ऐसे वायरमैन	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	.,
	व्यक्तियों के लिए	भर्ती द्वारा।	जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन		
	दो वर्ष		रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा	1. भारत सरकार मुद्रणालयके उपनिदेशक	
			की नियमित सेवा की है।	(प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक	
				या प्रबंधक	
			टिप्पणी-1	-अध्यक्ष	
			जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद	
			या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	-सदस्य	
			रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	
			जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या	-सदस्य	
			पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक		
			से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने		
			अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या	टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वीक्त	
			पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में	पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम	
			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी	तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप	
			कर ली हो।	के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित	
				आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा	
			टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना	है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों	
			करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,	के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में	
			2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन	शामिल किया जा सकता है तथा समीप के	
			आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को	मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार	
			विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को	कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर	
			उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित	स्थित है।	
			तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।		
			<u>प्रतिनियुक्तिः-</u>		

केन्दीय सरकार के ऐसे अधिकारी -

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200रु) में नियमित आधार पर वायरमैन के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

दिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिकृतित पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी2: प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. वायर मैन	आठ (08)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में दूसरा स्तर (19,900 - 63,200/- स्तर)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेषों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए षिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं। <u>टिप्पण 2</u> :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं उतीर्ण) या समतुल्यः (ii) विद्युत व्यवसायय/वायर मैन व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्रः (iii) किसी सुस्थापित विधिक इकाई में सुसंगत क्षेत्र में दो साल का अनुभव ।  टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों या अनुस्चित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

	ı	T		1
	भर्ती की पद्धति,	<u> </u>	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन
अवधि, यदि	भर्ती सीधे होगी या	द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे		परिस्थितियों में
कोई है	प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन		संघ लोक सेवा
ļ	प्रतिनियुक्ति/	किया जाएगा।		आयोग से
	आमेलन द्वारा			परामर्श किया
	तथा विभिन्न			जायेगा।
	पद्धतियों द्वारा			
	भरी जाने वाली			
	रिक्तियों की			
	प्रतिषतता			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता
	भर्ती द्वारा।			
	•		1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या	
			प्रबंधक - अध्यक्ष	
			2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौदयोगिकीविद - सदस्य	
			· ·	
			3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य	
			<u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा	
			• •	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			उ समीप के म्द्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे म्द्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	
	कोई है	अविध, यिद भर्ती सीधे होगी या कोई है प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	अविध, यदि भर्ती सीधे होगी या द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे कोई है प्रोन्नित द्वारा या प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।  अामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता  (9) (10) (11)  दो वर्ष शतप्रतिशत सीधी लागू नहीं होता।	अविष्, यद

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. वैल्डर	दस (10)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में दूसरा स्तर (19,900 - 63,200/- स्तर)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेषों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए षिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <u>टिप्पण 2</u> :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं उत्तीर्ण) या समतुल्यः (ii) वैल्डिंग व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्रः (iii) किसी औद्योगिक इकाई में अथवा विधिक मान्यता की वर्कशाप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभवः (टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। (टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नही है।

		T	T		I -
सीधे भर्ती किये	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति,	5	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन
जाने वाले	अवधि, यदि	भर्ती सीधे होगी या	आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे		परिस्थितियों में
व्यक्तियों के	कोई है	प्रोन्नति द्वारा या	श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या		संघ लोक सेवा
लिए विहित आयु		प्रतिनियुक्ति/	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया		आयोग से
और शैक्षिक		आमेलन द्वारा	जाएगा।		परामर्श किया
अर्हताएं प्रोन्न्त		तथा विभिन्न			जायेगा।
व्यक्तियों की		पद्धतियों द्वारा			
दशा में लागू होगी		भरी जाने वाली			
या नहीं		रिक्तियों की			
		प्रतिषतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता
		भर्ती द्वारा।			
				1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -	
				अध्यक्ष	
				2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौदयोगिकीविद - सदस्य	
				· ·	
				3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य	
				<u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी	
				जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के	
				कसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो	
				प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
नाम			स्तर	अथवा	-	
				अचयन		
				पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. मशीन	वहत्तर (72)*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में 4	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक:
सहायक	(2024)	(कुशल), अराजपत्रित,	स्तर (25,500 -		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेषों या आदेशों	
(आफ-सेट)		अननुसचिवीय ।	81,100/-)		के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(i) मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण तकनीक अथवा
	*(कार्यभार के				तक की जा सकती है।)	समतुल्य में नियमित तीन वर्षीय डिप्लोमा और
	आधार पर				<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	(ii) एकल तथा बह्रंगी मुद्रण कार्य करने के लिए
	परिवर्तन				तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	आफ-सेट मशीन के प्रचालन का तीन वर्ष का
	किया जा				नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख	अनुभव।
	सकता है)				जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिप्र,	अथवा
					नागालैण्ड, त्रिप्रा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	(i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या बोर्ड से (10 + 2);
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	(ii)शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन आफ-सेट
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार	मशीन में शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र;
					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।	(iii) एकल तथा बह्रंगी मुद्रण कार्य करने के लिए आफ-सेट मशीन
					<u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली	के प्रचालन का पाँच वर्ष का अनुभव।
					——— भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक	<u>टिप्पण 1</u> :- अर्हताएं, अन्यथा स्अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन
					े तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
					से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती
						है।
						<u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए
						जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
						के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
						अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के
						किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें
						कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके
						लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अन्भव रखने
						वाले उन सम्दायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
						की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये परिवीक्षा की अविध, यदि व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i)33 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्निति द्वारा।	प्रोन्नित ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के अधीन नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 में आठ साल की नियमित सेवा के साथ ऑफसेट मशीन अटेंडेंट।  टिप्पणी-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।  प्रतिनियुक्तः:-  केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत निकाय अथवा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी (विभाग/मुद्रणालय सिहत) जो नियमित सहश पदधारी हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नितिखित होंगे:  1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष  2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य  टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता

(अथवा)	
जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते नियमित आधार पर	
आफसेट मशीन परिचर पदधारण किए हुए हैं और वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर में	
आठ वर्ष नियमित सेवा की है।	
<u>टिप्पणी-1</u> : प्रतिनिय्क्ति या आवेदन के आधार पर निय्क्ति के प्रयोजन कि लिए	
किसी अधिकारी दवारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें	
केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का	
विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस देषा के,	
जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है।	
<u>टिप्पणी-2</u> : प्रतिनिय्क्ति की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या	
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य	
काडर बाह्नय पद पर प्रतिनिय्क्ति की अविधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी जो पाँच वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है।	
<u>टिप्पणी-3</u> : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन	
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
21 (1 4/4) 34 51 (14/4	
समावेशनः	
ऐसे कार्मिक जो समत्ल्य ग्रेड में सदृश पद्धारी हैं और आफसेट मशीन परिचालन	
के कार्य में छह माह का प्रशिषण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं और ट्रेड टेस्ट में	
अर्हता प्राप्त करने के अधीन।	
O(((1) 2) (1) 12(2) 17 O(9)21	

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
नाम			स्तर	अथवा	-	
				अचयन		
				पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. <b>मशी</b> न	छिहत्तर (76)*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में 2	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
परिचर	(2024)	(कुशल), अराजपत्रित,	स्तर (19,900 -		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेषों या आदेशों	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य;
(आफ-सेट)		अननुसचिवीय ।	63,200/-)		के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(ii)शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन आफ-सेट
	*(कार्यभार के				तक की जा सकती है।)	मशीन में शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र;
	आधार पर				<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	(iii) एकल तथा बह्रंगी मुद्रण कार्य करने के लिए आफ-सेट मशीन
	परिवर्तन				तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	के प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव।
	किया जा				नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख	<u>टिप्पण 1</u> :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन
	सकता है)				जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
					नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकान्सार शिथिल की जा सकती
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	है।
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार	<u>टिप्पण 2:-</u> अन्भव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए
					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।	जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली	के विवेकान्सार अन्सूचित जातियों या अन्सूचित जनजातियों के
					भर्ती की दशा में आय् सीमा अवधारित के लिए निर्णायक	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के
					तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों	किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें
					से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके
						लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने
						वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
						की सम्भावना नहीं है

	की भर्ती की पद्धति, यदि भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने व व्यक्तियों तिए दो वर्ष	के जिसके न हो सकने	प्रोन्नित वेतन मैट्रिक्स के पहले स्तर में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है। टिप्पणी-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।  प्रतिनियुक्तः:- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर (19,900 -63,200/-) में नियमित आधार पर सदशरण किए हए हैं या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे:  1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष  2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य  टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता

(ii) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन मैट्रिक्स के पहले स्तर (18,000-56,900/-) में श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

<u>टिप्पणी-1</u>: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी-2: प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहनय पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन कि लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दषा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है।

#### <u>समावेशन:</u>

ऐसे कार्मिक जो समतुल्य ग्रेड में सदृश पद्यारी हैं और आफसेट मशीन परिचालन के कार्य में 03 माह का प्रशिषण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के अधीन।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			स्तर	अथवा	सीमा	
				अचयन		
				पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. सिल्क	दो (2)*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स का	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक:
स्क्रीन	(2024)	'ग' (अति कुशल)	चौथा स्तर(	होता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थानय/विश्वविद्यालय से मुद्रण तकनीक में
प्रचालक	*(कार्यभार के	अराजपत्रित अननुसचिवीय	25,500-		आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल	तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा साथ ही विधिक अस्तित्व वाली
	आधार पर		81,100/- रु)		करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	संस्था/मुद्रणालय में मुद्रण सिल्क स्क्रीन मुद्रण कार्य करते ह्ए सिल्क स्क्रीन
	परिवर्तन किया जा				<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए	मुद्रण प्रक्रिया का एक वर्ष का अनुभव।
	सकता है)				निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	या
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी	(ii)किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और जिनके
					(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	पास एकल तथा बह्रंगी सिल्क स्क्रीन मुद्रण कार्य करते हुए सिल्क स्क्रीन
					अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	मुद्रण प्रक्रिया का पांच वर्ष का अन्भव।
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	या
					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा	(iii)शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता के सफलता
					चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और	पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र और स्क्रीन प्रिंटिंग कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	<u>टिप्पण 1</u> :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दषा में उन कारणों के
					विहित की गईं हैं।	लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए	टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
					निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक	किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार
					रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब
					है।	शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए
						जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय
						है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने
						वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
						सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये परिवीक्षा की जाने वाले अविध, यदि व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) (9) लागू नहीं सीधे भर्ती किए होता जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) 100 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नि (i) वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर (19,900-63,200 रु) में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पणी-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जविक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हा और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है अगली उच्चता श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवोक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनराक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तार तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे:  1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष  2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य  टिप्पण - यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	(13) लागू नहीं होता

अन्सूची

				जनुसूया		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य
			वेतन स्तर	अथवा	लिए आयु सीमा	अर्हताएँ
				अचयन पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. सहायक	दो (02)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक:
स्क्रीन	(2024)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2 (19,900-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये	
प्रचालक		(कुशल) अराजपत्रित	63,200 रुपये)		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं
	*(कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय			सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक	पास) या समतुल्य और
	पर परिवर्तन किया जा	_			की जा सकती है)	(ii) जिनके पास एकल तथा बह्रंग सिल्क स्क्रीन
	सकता है।)					प्रिंटिंग कार्य करते हुए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया के
					<u>टिप्पण 1</u> :- आयु सीमा अवधारित करने के	प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव;
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	(या)
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन
					अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख	शिक्षुता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र
					जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	सहित सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का एक वर्ष का अनुभव।
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,	
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	<u>टिप्पण 1</u> :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की
					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के
					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड,	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	
					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<u>टिप्पण २</u> :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी
						चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
					की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह	जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन
					अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार	आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए
					कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया	आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव
					है।	रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त
						संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लाग् नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नितिखित होंगे:  1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  िटप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. सहायक निरीक्षक नियंत्रण	एक (01)* (2023) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, सम्र्ह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का पाँचवाँ स्तर (29,200/- 92,300/-)	लाग् नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये	परिवीक्षा की	भर्ती की पदधति. भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी	किन परिस्थितियों
जाने वाले व्यक्तियों	अवधि, यदि	सीधे होगी या प्रोन्नति	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	संरचना	में संघ लोक सेवा
के लिए विहित आय्	कोई है	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	3		आयोग से परामर्श
और शैक्षिक अर्हताएं		आमेलन द्वारा तथा			किया जायेगा।
प्रोन्न्त व्यक्तियों		विभिन्न पद्धतियों द्वारा			
की दशा में लागू		भरी जाने वाली रिक्तियों			
होगी या नहीं		की प्रतिशतता			
	(0)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8)	(9)	` '		` '	
लागू नहीं होता	लागू नहीं	शत- प्रतिशत	प्रतिनियुक्तिः-	समूह 'ग' विभागीय चयन समिति समिति	लागू नहीं होता
	होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-	जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
			(i) जो सदृश पद्धारण किए हुए है;		
			(अथवा)	1. भारत सरकार मुद्रणालय के उप	
			(ii) वेतन मैट्रिक्स के पाँचवें स्तर में सैक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)	निदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख)	
			(iii) वेतन मैट्रिक्स के 4थे स्तर में ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित	अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -	
			मुद्रणालय में जिल्दसाज़, रीडर अथवा आफसेट मशीन सहायक।	अध्यक्ष	
			<u>टिप्पणी -1</u> : पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं		
			प्रतिनि्क्ति पर निय्क्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनिय्क्त	2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/	
			व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा निय्क्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।	प्रौद्योगिकीविद - सदस्य	
			<u>टिप्पणी -2</u> : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		
			संगठन या विभाग में इस निय्क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहनय पद पर	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक	
			प्रतिनिय्क्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(प्रशासन) - सदस्य	
			<u>टिप्पणी -3:</u> प्रतिनिय्क्ति द्वारा निय्क्ति के लिए अधिकतम आय् सीमा आवेदन प्राप्त करने		
			———— उर्जं पुरान वर्ष से अधिक नहीं होगी।	<u>टिप्पण</u> - यदि किसी मुद्रणालय का उपरोक्त	
			<u>टिप्पणी -4</u> : प्रतिनिय्क्ति या आवेदन के आधार पर निय्क्ति के प्रयोजन कि लिए किसी	अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसी पदनाम तथा	
			अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग	हैसियत का ऐसा पदधारी अधिकारी जो समीप की	
			की सिफारिशों आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार	किसी अन्य प्रैस में नियमित आधार पर इसी	
			पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का	हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय	
			साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह	के किसी संदर्भ के बिना विभागीय प्रोन्नति	
				समिति में शामिल किया जा सकता है। समीप की	
			काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना	प्रैस वह है जा प्रोन्नित पर विचार कर रहे	
			किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर	मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	
			आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।	3	

Name	of Number of Post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or	Age limit for	Educational
the				non-selection post	direct recruit	and other
Post						qualifications
						for direct
						recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper	Fifty-seven (57) * (2024)		Level-4 in the pay matrix	Non- selection	Not applicable	Not applicable
Division	*Subject variation dependent on	Service Group 'C'	(Rs.25500 – 81100)			
Clerk.	work load.	Non-gazetted,				
		Ministerial				

Whether age	Period of		In case of recruitment by promotion or deputation or		
and	probation,		absorption, grades from which promotion, deputation or	Committee exist, what is its	in which Union
educational	if any	whether by	absorption to be made.	composition	Public Service
qualifications		direct			Commission is
prescribed for		recruitment or			to be consulted
direct recruits		by promotion			in making
will apply in		or by			recruitment
case of		deputation or			
promotees.		by absorption			
		and percentage			
		of vacancies to			
		be filled by			
		various			
		methods			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
` '	(9) Not	\ /	(11) Promotion:	(12) Group 'C' Departmental	\ /
Not applicable	Not	By promotion	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by	<b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-	Group 'C' Departmental	Not
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	<b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:	Not
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press — Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Assistant Manager	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Assistant Manager (Technical)/ Technologist-	Not applicable.

date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

#### Deputation:

Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments:

- (i) holding analogous post on regular basis, or
- (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.

**Note 1**: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2016 the date from which the revised pay structure—based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

**Note 2**: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member

2.7	dar 1 c	101		l	TT71 .1	A 11 1. C 11	D1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	of Number of	Classification	on	_		Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications for
the	Post				selection		direct recruits
Post				matrix	post or non-		
					selection		
					post		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Lower	Eighty-	General Cer	ntral	Level-2 in	Non	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for	12th class pass or equivalent from a
Division	three (83)*	Service, G	roup	the pay	Selection	Government servants up to the age of forty	recognized Board or University.
Clerk	(2024)	'C'	Non-	matrix		years in case of general candidates and forty-	
		gazetted		(Rs.19900-		five years in case of candidates belonging to	Should pass type test with speed of 35
	*(subject	Ministerial		63200)		the Scheduled Castes and the Scheduled	w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi
	to					Tribes in accordance with the instructions or	on computer.
	variation					orders issued by the Central Government).	_
	dependent					·	(35 w.p.m. in English and 30 w.p.m. in
	on work					<b>Note:</b> The crucial date for determining the age	Hindi correspond to 10500 key
	load)					limit shall be as fixed by the Staff Selection	depressions per hour/ 9000 key
						Commission. (Where recruitment is not	depressions per hour on an average of 5
						through Staff Selection Commission, the	key depressions for each word)
						crucial date for determining the age limit shall	
						be the closing date for receipt of applications	
						from candidates in India (and not the closing	
						date prescribed for those in Assam,	
						Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	
						Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	
						Division of Jammu and Kashmir State,	
						Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-	
						Division of Chamba District of Himachal	
						Pradesh, the Union territory of Andaman and	
						Nicobar Islands or the Union territory of	
						Lakshadweep).	

and education	robation, i	ect recruitment or by promotion or by	In case of recruitment by promotion or deput ation or absorption, grades from which prom	otion Committee exist,	es in which U
nal qualifications prescribe d for direct re cruits will ap	· ·	deputation or by absorption and perc entage of vacancies to be filled by vari ous methods	otion, deputation or absorption to be made.	-	ervice Commi ssion is to be consulted in
ply in case of promotees.					making recru itment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes, to the extent indicated	for direct r	ugh Staff Selection Commission.	Group C employees (non-Industrial) with thr		
in column (10d	ecruits	qualifying examination from amongst Group C	Pay matrix.	ation Committee cons isting of:	
		atrix possessing qualification prescribed for dire ct recruits under column 7 and have rendered th ree years regular service in the grade. The maxi mum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the Scheduled Castes/ Sc heduled Tribes).	<b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall a lso be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribe	<ol> <li>Deputy Director (Ad mn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>Senior most Deputy</li> </ol>	
		C' employees (Non-Industrial) with three years regular service in Level 1 of Pay matrix and pos sessing qualification prescribed for direct recruits under column 7.	d.  Note 2: For the purpose of computing minim um qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer	Manager/ Senior-most Assistant Manager (Tec hnical)/Technologist- M ember	
		uitment	prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendation.	<ol> <li>Senior most Assista nt Manager (Administra tion) –Member</li> </ol>	
		le qualified at the examination, suc h excess number of employees shal	de pay or pay scale extended based on the re commendations of the pay commission.		
		cies arising in the subsequent year s so that the employees qualifying a	<b>Departmental Qualifying Examination:</b> Group C employees (Non-Industrial) in Level 1 of Pay matrix who possess 12th Std. pass o		
		t an earlier examination are consid ered before those who qualify at a l ater examination.	r equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.  Absorption:		
			One time relaxation may be granted to Officials holding the p osts of MTS (Level-1) i.e. Group 'C' (Non-Industrial employ ees) for absorption to the post of LDC before Direct Recruit ment		

Name of the Post	Number of Post		Pay level in Pay matrix	Whether selection post or	S	Educational and other qualifications for direct
Fost				non-selection		recruits
				post		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade-II	*Subject to variation	General Central Service, Group 'C', Non- gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500 – 81100)		,	equivalent from a recognised Board or University;  (ii) Skill Test Norms:  Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m.  Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on Computer.

Whether age	Period of	Method of recruitment, whether	In case of	If a Departmental Promotion	Committee Circumstances in
and	probation, if	by direct recruitment or by	recruitment by	exist, what is its composition	which Union Public
educational	any	promotion or by deputation or by	promotion or		Service Commission
qualifications		absorption and percentage of	deputation or		is to be consulted in
prescribed for		vacancies to be filled by various	absorption,		making recruitment
direct recruits		methods	grades from which		
will apply in			promotion,		
case of			deputation or		
promotees.			absorption to be		
			made.		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment through	Not applicable	Not applicable	Not applicable
		Staff Selection Commission.			
					1
		<b>Note</b> : Vacancies caused by the			
		incumbent being away on			
		deputation or long illness or			
		study leave or under other			
		circumstances for a duration of			
		one year or more may be filled on			
		deputation from the officials of			
		the central Government holding			
		analogous posts or regular basis			
		and possessing the qualifications			
		prescribed for direct recruits at			!
		column (7).			

\_

Name of the	Number of	Classification	Pay level i	Whether select	Age limit for direct recruit	Educational and other qu
Post	Post		n Pay ma	on post or non-		alifications for direct recru
			trix	selection post		its
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pharmacist	8*	General Central S			Between 18 and 30 years. (Relaxable for Governme	
	(2023)	ervice, Group 'C' N	the pay	ble	nt servants up to the age of forty years in case of ge	Board or University with D
		on-Gazetted, Non-	matrix (R		neral candidates and forty-five years in case of can	
	*(subject t	Ministerial	s.29200-		didates belonging to the Scheduled Castes and the	
	o variation		92300)		Scheduled Tribes in accordance with the instructio	d should have registered w
	depending				ns or orders issued by the Central Government.)	ith Pharmacy Council of I
	on work lo					ndia or State Pharmacy C
	ad)				<b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age lim	ouncil.
					it shall be the closing date for receipt of application	
					s from candidates in India (and not the closing date	<ul><li>(ii) Experience: Two years'</li></ul>
					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunach	experience in relevant field
					al Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	in a Government or Semi-
					Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir St	
					ate, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Divisi	nt recognized commercial
					on of Chamba District of Himachal Pradesh, the Un	establishment/hospital.
					ion territory of Andaman and Nicobar Islands or th	
					e Union territory of Lakshadweep).	

Whether age Period of and probation educational if any qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	, recruitment,	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstance s in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Two years applicable for direct	By direct recruitment failing which by deputation.	<b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments,	Group 'C' Departmental Promotion Committee or Selection consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager of Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Technologist- Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member	Not applicable.

Name of		Classification	3	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required
the Post	Post		level in the	selection		for direct recruits
			Pay Matrix	post or		
				non-		
				selection		
				post		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	Four	General	Level-2 in	Not-	Not exceeding 27 years of age	Essential:
Caretaker	(04) *	Central	the pay	applicable	(relaxable for Government servants	(i) Intermediate or equivalent from a
	(2024)	Service, Group	matrix		upto 40 years in accordance with the	recognized university/ board or equivalent.
	*(subject to	'C', Non-	(Rs.19900 -		instructions	(ii) Two years' experience in upkeep and
	variation	gazetted,	63200)		or orders issued by the Central	maintenance of Office buildings.
	dependent	Ministerial.			Government)	, and the second
	on work				<b>Note:</b> Crucial date for determining the	Desirable:
	load)				age limit shall be the last date for	Diploma or certificate in sanitation from a
					receipt of applications.	recognized institute

Whether age and probation, if qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Two years applicable for Direct recruits.	deputation failing	Officers of the Central Government: holding analogous post on regular basis;  (or) holding post in Level-1(Rs.18000 – 56900) in Pay matrix with three years' experience in upkeep and maintenance of office buildings.  Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Promotion/Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) of General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Technologist Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officers of the same Press is not available, officer, holding a post of the same designation and status or regular basis in other nearest sister Press shall be included in the Departmenta	r of e a a a t,

	Number of post		Pay level in matrix	Pay Whether selection		Educational and other qualifications required for direct recruits
circ post				post or non- selection		-01 G11000 1001 G1200
				post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section Holder (Binding)	Twenty nine (29)* (2024) *(subject	General Central Service, Group 'C' (Supervisory) Non- Gazetted,	Level 5 in pay matrix (Rs.29200-92300)	the Non- selection post	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment	Essential:  (i) 10 + 2 or equivalent from a recognized Board or University.  (ii) Three years of Diploma in Printing Technology or equivalent from a recognised university or institution and with  (iii) Two years of experience of working in a press or institution having legal entity including one year experience in Binding Section of the Press.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age	Period of	Method of	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades	If a Departmental	Circumstances in
and		recruitment,	from which promotion or deputation or absorption to be made.		which Union
educational	•	whether by			Public Service
qualifications	3,	direct		composition.	Commission is to
prescribed for		recruitment or			be consulted in
direct recruits					
will apply in		promotion or			making
case of		deputation/			recruitment.
promotees.		absorption			
		and			
		percentage of			
		the vacancies			
		to be filled by			
		various			
		methods			
(0)			(1.1)	(10)	(1.0)
(8)	\ /	\ /	(11)	(12)	(13)
No				Group 'C' Departmental	Not applicable
		percent by		Promotion/Confirmation	
	Recruits	promotion	service in the grade, failing which Binder with combined service of	Committee consisting of:	
		failing which	Binder and Assistant Binder in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with		
		by deputation	thirteen years regular service in the grades.	1. Deputy Director	
		lfailing hoth hy		(Admn./Head Office) or	
		direct	Note 1:	General Manager or	
			Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service	Manager of Government of	
		recruitment.	are being considered for promotion, their senior shall also be	India Press – Chairman	
			considered provided they are not short of the requisite qualifying or		
			eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	2. Senior most Deputy	
			service or 2 years, whichever is less and have successfully completed	Manager/Technologist-	
			their probation period for promotion to the next higher grade along		
			with their juniors who have already completed such qualifying or		
			eligibility service.	3. Senior most Assistant	
				Manager (Administration)	
			Note 2:	M 1	
			For the purpose of computing minimum qualifying service for		
			promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior	Note: If any of the aforesaid	
			to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure	officials of the same Press are	
			based on the $7^{\rm m}$ Central Pay Commission recommendations has been	and annilable officials helding	
			extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding	nosts of the same designation	
			grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the	and status on regular basis in	
			Pay Commission.	other nearest sister Presses	
			Deputation:	aball be included in the	
			Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies	composition of the aforesaid	
			or State Governments	Committee and nearest Press	
			(i) Holding analogous posts in Lay Devel-5 (its.29200-92000) on	the distance.	
			regular basis.	and distance.	

(ii) with five years regular service in the grade of Binder in Pay Level-4 (Rs.25500-81100) and with 2 years experience of Binding work. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto 5 vears. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	Number of po st		matrix	Whether selection post or non-selection		Educational and other qualifications required for direc t recruits
				n post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	and thirty (13 0)* (2024)	vice, Group 'C' (Hig hly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial		n	(Relaxable for Government servants upto 40 years in ac cordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the n	(ii) NCVT Certificate of ITI in Binding Trade with two y ears' experience in a printing press having legal entity  (or)  (iii) Certificate of successful completion of Apprentices hip under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the binding trade/ Certificate of successful completion of Vocational course at 12th Standard level in Printing Technology (Binding trade) with three years' work experience in a printing press having legal entity; and  (iii) Qualifying in the Trade Test in the relevant trade.  Desirable:  One year experience of working in Binding section in press or institution having legal entity.

qualifications prescribed for direct recruits will apply in ca se of promotee s.	ny,	by direct recruit ment or promoti on or deputatio n/ absorption a nd percentage of the vacancies to be filled by various methods		-	Public Service Co mmission is to be consulted in maki ng recruitment.
(8) No	ruits.	(i) 75% by prom otion failing whi ch by direct recruitment; (ii) 25% by direct recruitment failing which by deputation. (Preference will be given to the employees declared surplus in the similar grade and required to be redeployed/redesignated)	Assistant Binder in Level-2 (Rs.19900-63200) in Pay matrix with eight ye ars regular service in the grade, subject to qualifying in the Trade Test.  Note 1:  Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service ar e being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have alread y completed such qualifying or eligibility service.  Note 2:  For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th C entral Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation:  Officers of the Central Government—  (i) holding the analogous post in Level-4 (Rs.25500-81100) in Pay matix on regular basis; or with eight years regular service in the grade in Pay Level-2 in Pay matrix.	1. Deputy Director (Adm n./Head Office) or Gener al Manager or Manager of Government of India Pres s – Chairman  2. Senior most Deputy M anager/ Technologist– Me mber  3. Senior most Assistant Manager(Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press ar e not available, officials hold ing posts of the same design ation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the afore said Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

<b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be n ot exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application s.	
Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption bas is, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st Janua ry, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Sev enth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deeme d to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the nor mal replacement grade without any upgradation.	

Name of	Number of	Classification	Pay level in Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for
the post	post		matrix	selection post		direct recruits
				or non-		
				selection		
				post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	Two		Level 2 in the pay			Essential:
Binder		Central	matrix (Rs.19900-	selection post		(i) Matriculation (10 <sup>th</sup> Standard) Pass or equivalent
			63200)		[Relaxable for Government servants up to 40	6
	` '	Group 'C'	1		years in accordance with the instructions or	
	(2024)	(Skilled),			,	A Certificate of successful completion of
		Non-				Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52
	*(subject to				Note 1: The crucial date for determining the	of 1961) in the binding trade;
	variation	Non-			age limit shall be the closing date for receipt	
	dependent	Ministerial.			of applications from candidates in India (and	<u>- ·                                     </u>
	on work				Machalara Ammachal Dradach	Certificate of successful completion of Vocational
	load)				Mizorom Moninur Nogoland Tripura	course at 12th Standard level in Printing Technology
					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and	(Binding trade) or III in Binding Trade.
					Kashmir State Lahaul and Sniti District and	(ii) Qualifying in the Trade Test in the Binding trade.
					Pangi Sub-Division of Chamba District of	
						<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion
					Islands or Lakshadweep).	of Staff Selection Commission/ Competent
						Authority in the case of candidates otherwise well
					Note 2: In the case of recruitment through	qualified.
					Employment Exchange, the crucial date for	
					determining the age limit shall be the last	<b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is
						relaxable at the discretion of the Staff Selection
						Commission/Competent Authority in the case of
						candidates belonging to Scheduled Castes or
						Scheduled Tribes if at any stage of selection, the
						Staff Selection Commission/Competent Authority is
						of the opinion that the sufficient number of
						candidates from these communities possessing
						requisite experience are not likely to be available to
						fill up the vacancy reserved for them.

and probation, reeducational if any, by qualifications prescribed for direct recruits will apply in case probation, reeducation, reeduc	ecruitment, whether a y direct recruitment	n case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.		Committee Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Two years applicable for direct recruits.	(i) 15% by promotion failing which by direct recruitment.  (ii) 10% by promotion from Grade 'C' Non-Industrial employees (Level-1) of the Press subject to qualifying the Trade Test failing which by Direct Recruitment.  (iii) 75% by direct recruitment failing which by promotion.	Promotion:  i) Labourer (Industrial Attendant) in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the grade test.  (ii) Grade 'C' Non-Industrial employees of the Press in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying the trade test.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever a less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Depa Promotion/Confirmation Co consisting of:  1. Deputy Director (Adr Office) or General Manager or of Government of India Chairman  2. Senior most Deputy Technologist- Member  3. Senior most Assistant (Administration) -Member  Note: If any of the aforesaid office same Press are not available holding posts of the same design status on regular basis in othe sister Presses shall be include composition of the aforesaid C and nearest Press is to be decided of the distance.	mn./Head r Manager Press –  Manager/  Manager  cials of the e, officials nation and er nearest ed in the Committee

Name of	Number of	Classification	Pay level in Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required
the post			matrix	selection		for direct recruits
Table Post				post or non-		
				selection		
				post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head	Four (04)*	General	Level-5 in the pay	Non-	Between 18 and 27 years	Essential:
	*(subject to variation	Service, Group C' (Supervisory), Non-gazetted, Non-	matrix (Rs. 29200- 92300)		years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from condidates in India (and not precise the conditates in India)	(ii) Three years regular Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics engineering from a recognized university or institution;  (iii) three years of experience in maintenance/repairing of printing and allied equipments in an institution or press having legal entity.  Desirable:
					determining the age limit shall be the last date	<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the
						Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

		Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	failing which by	Mechanic (Printing and Binding) in Level-4 in Pay Matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager or India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Technologist-Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –	
			Deputation:	officials of the same Press are	
			State Governments -	not available, officials holding posts of the same designation	
			(a) holding analogous post on regular basis in parent cadre with two years experience in handling mechanical repair works or the post of Head Mechanic (Printing and Binding) in Pay Level-5 on regular basis: or	shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the	
			<b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		

appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.
<b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Name of	Number of		Pay level in		Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications
the post	post		Pay matrix	-		required for direct recruits
				or non-		
(1)	(0)	(2)	(4)	selection post.	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	· ,	(7)
(Printing and Binding)	Twelve (12)* (2024)  *(subject to variation dependent on work load.)	Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	the pay matrix (Rs.25500-		(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	ii)Three years regular diploma in Mechanical or Electrical or Electronic Engineering from a recognized university or institution or equivalent;  (iii) one year experience in maintenance or repairing of Printing and Allied equipment's in an Institution or Press having legal entity; and  (iv) qualifying in the Trade Test in the relevant Trade.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the

Whether age	Period of	Method of	In case of recruitment by promotion or deputation	If a Departmental Promotion	Circumstances in which
and		recruitment	or absorption grades from which promotion or	Committee exists, what is its	Union
educational	if any.	whether by direct	deputation or absorption to be made.	composition.	Public Service
qualifications	3,	recruitment or		Transaction of the control of the co	Commission is to be
prescribed		promotion or			consulted in making
for direct		deputation/			recruitment.
recruits will		absorption and			recruitment.
apply in case		percentage of the			
of promotees.		vacancies to be			
		filled by various			
(0)		methods	(1.1)	(10)	(1.0)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	(i) 75% by		Group 'C' Departmental	Not applicable
applicable	for Direct		Assistant Mechanic (Printing & Binding) in Pay		
	recruitment.		Level-2 (Rs.19900 – 63200) in the pay matrix with		
			eight years of service in that grade subject to		
		both by deputation.	qualifying in Trade Test.	1. Deputy Director	
		(::) OF0/ 1 D: /	Note 1:	(Admn./Head Office) or General	
		(11) 25% by Direct	Where juniors who have completed their qualifying	Manager or Manager of	
			or eligibility service are being considered for		
		which by Promotion	promotion, their senior shall also be considered		
			provided they are not short of the requisite		
			qualifying or eligibility service by more than half of		
			such qualifying or eligibility service or 2 years,	Manager/ Assistant Manager	
			whichever is less and have successfully completed	` "	
			their probation period for promotion to the next		
			higher grade along with their juniors who have		
			already completed such qualifying or eligibility service.		
				Manager (Administration) –	
			Note 2:	Member	
			For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a		
			regular basis by an officer prior to 1st January, 2016		
			or the date from which the revised pay structure		
			based on the $7^{th}$ Central Pay Commission		
			recommendations has been extended, shall be		
			deemed to be service rendered in the corresponding		
			grade pay or pay scale extended based on the		
			recommendations of the Pay Commission.	Committee and nearest Press is to	
			Deputation:	be decided in terms of the distance.	
			Officers of Central Government or Public Sector Undertaking		
			or Autonomous Bodies or State Governments		
			(i) holding analogous post in Level-4 (Rs.25500-		
			81100) in Pay matrix on regular basis with two		
			years experience of Mechanical repair work; or		

(ii) with eight years regular service in the grade in Pay Level-2 (Rs.19900 - 63200) and subject to qualifying in the trade test. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common

> grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade

without any upgradation.

Name of post	the	Number of post	Classification	Pay level Pay matri		selection post or non- selection		Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)		(2)	(3)	(4)		post. (5)	(6)	(7)
Assistant		Eighteen (18)*	General Central	Level-2		Non-	( )	Essential:
Assistant Mechanic (Printing Binding)	and	(2024) *(subject variation	Service, Group 'C (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.		pay	selection post	(Upper age limit is relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age	(i)Pass in the Matric (10th Standard) examination; and  (ii) National Trade Certificate in Mechanic from an Industrial Training Institute with one year experience in Offset Printing Press having legal entity.  Desirable:  One years' experience in maintenance or repairing of Printing and Allied equipment's in an Institute or Press of having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates
							the Employment Exchange is asked to	from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	probation, if any,	filled by methods	direct or or and		Committee composition	,		ion Circumstances its in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
` ′	(9) Two years	(10) i) 25%	by	(11) Promotion:	(12) Group	'C'	Denartman	(13) <b>tal</b> Not applicable
No	for direct recruits	promotion which by recruitment ii) 75% by Recruitment	failing direct Direct failing omotion	Labourer/Industrial attendants in Pay Level-1 in pay matrix (Rs.18000 – 56900) having three years regular service in the grade rendered after appointment there to on regular basis subject to qualifying the Trade Test.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale	1. Deput Office) 1. Deput Office) Manager Press – C 2. Senior Technolog 3. Senior (Administ Note: If any the same officials holdesignation in other near included in aforesaid Co	r most Asstration) –Me of the afor Press are lding posts and status rest sister at the committee ar	or (Admn./Hed Manager nment of Indepty Manager sistant Manager resaid officials not available on regular ba Presses shall position of the same of the same of the same on regular ba Presses shall position of the same of the same on regular ba Presses shall position of the same of the same of the same on regular ba Presses shall position of the same of t	ead or dia er/ ger s of ole, me sis be the ess

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level In Pay matrix		Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Reader	(29) * (2024) *(subject to	Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	the pay matrix (Rs.25500-		(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which	equivalent;  (ii) Proficiency in English and Hindi language and one regional language which is used in the Printing press, and  (iii) Having two years experience of Proof reading in an Offset Press having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of condidates otherwise well qualified.

and probation, educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		Committee exists, what is its composition.	in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8) (9) No Two years	(10) (i) 50 % by direct	(11)	(12) Group 'C' Departmental	(13)
for direct	recruitment failing which by promotion;  (ii) 35% by promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment  (iii) 15% by promotion through Departmental Competitive Readership Examination conducted by the Directorate of Printing.	(i) Copy Holder in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with eight year of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the Trade Test; (ii) Copy holder having four years regular service in the grade, shall be eligible for the Departmental Competitive Readership Examination.  Note 1:  Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Promotion/Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

(including the Department/Press) holding analogous post on regular basis. (or) Holding a post of Copy Holder in level 2 in pay matrix having eight years regular service subject to qualifying in the Trade Test. **Note 1:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations. Note 2: period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Absorption: Officials holding the posts in equivalent grade and have successfully completed training in operation of Offset Machine for six months.

Name post	e of t	ne Number o post	fClassification	Pay level in matrix	S (	ion post non-		Educational and other qualifications required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Сору	Holder	(29)* (2024)	Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in pay m. (Rs.19900-63200)	thell atrix		(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to	(2) proficiency in English and Hindi Language and one Regional Language which is used in the Press; and  (3) one year experience as Proof Reader in a Press having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisites

qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	probation, if any,	whether by direct	promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation to be made.		which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable		100% by Direct	t.Not applicable	Group 'C' Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

Name of the post	Number of posts	Classification		Whether selection post or non-selection post.		Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Electrician		Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)		(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(ii) Three years regular Diploma in Electrical or Electrical and Electronics Engineering from a recognized institution or university or equivalent with one year experience;  (or)  Industrial Training Institute Certificate in Electrical Trade or Electrical Certificate of Competency and having five years of experience of running or maintenance of different types of both high tension and low-tension electrical installations including

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		Committee exists, what is its composition.	
(8) Not	(9) Two years	(10)	(11) Promotion:	(12) Group 'C' Departmental	(13)
applicable	for direct Recruits.	promotion failing which by deputation failing both by Direct recruitment.	Wireman in Pay Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200) with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation:  Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments —  (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) with eight years regular service in the grade of Wireman in the Pay Level-2 (19900 – 63200).	Promotion/Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

<b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some
other organization or department of the Central Government shall ordinarily
not exceed three years extendable upto five years.
not exceed times years extended up to into years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not
exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the
service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016
(the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay
Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service
rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the
recommendations of the Pay commission except where there has been merger
of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for
which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any
which that State pay of pay bears is the normal replacement State without any

Name of the post	Number of post			Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wireman	(2024)	Service, Group 'C' (Skilled),	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200)	Non- Selection post	Instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Matriculation (10th Standard) pass from recognized Board or equivalent; (ii) Certificate of Industrial Training Institute in Electrical/Wireman trade; (iii) Two years' experience in the relevant field from a reputed firm of legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancy reserved for them.

au alifications	probation, i any,	fwhether by direct recruitment or	promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Not applicable	Two years	100% by Direct recruitment		Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Technologist– Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member	
				Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection pos or non- selection post.	t	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Welder	(2024) * *(subject to	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	pay matrix (Rs. 19900- 63200)	applicable	up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	iii) should have at least three years' experience as welder in an industry or workshop established in accordance with law  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority

and educational	probation, if any,	recruitment, whether by direct	deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Not applicable	(9) Two years for direct recruits.	100% by direct recruitment		Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Senior-most Assistant Manager (Technical)/Technologist-Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

Name of post	Number of post	Classification	Level in t he Pay M atrix	Whether Selectio n post o r non-se lection p	Age limit for direct recruits	Educational and other q or direct	
(1)	(0)	(2)	(4)	ost	(6)	('7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	,
	(72)* (2024)	General Central Service, Group ' C' (Highly Skille d) Non-Gazetted , Non-Ministeria l	e pay matrix (Rs.25500-81 100)	tion	ammu and Kashmir State, Laha ul and Spiti District and Pangi S ub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshad weep)  In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange, the recruitment made through the selection of the Employment Exchange is asked to subment Exchange.	ogy or equivalent from a rend (ii) Three years working exhine doing single and musical from recognized S (ii) Certificate of successful iceship in Offset Machine ct, 1961 (52 of 1961); and (iii) Five years' experience achine doing single and mak.  Note 1: Qualifications are ion of the Staff Selection of Authority in the case of capualified.  Note 2: The qualification is relaxable at the discretic Commission/ Competent candidates belonging to Seduled Tribes if at any stafficient these communities of the segment these communities are segment to the segment these communities of the segment these communities are segment to the segment these communities of the segment these communities are segment to the segment these segments and the segment the s	experience on Offset Mac lti-colour printing work.  School or Board; al completion of Apprent under the Apprentices A in operation of Offset M nulti-colour printing work.  The relaxable at the discret Commission/Competent andidates otherwise well and the Staff Selection Authority in the case of Scheduled Castes or Schage of selection the Staff ompetent Authority is of a number of candidates for sessing the requisite e be available to fill up th
Whether ag and educationa qualificatio	probation l if any.	Method of red whether by d recruitment of promotion or	irect or by	deputation which pro	or absorption grades from notion or deputation or	If a departmental promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be

'1 1 0	ı	I	<u></u>		1, 1,
prescribed for		deputation/ absorption			consulted in making
direct recruits		and percentage of			recruitment.
will apply in		vacancies to be filled by			
case of		various methods.			
promotes.					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No		(i) 33% by promotion		Group 'C' Departmental	Not applicable.
	for direct		Offset Machine Attendant with eight years		
	recruits		regular service in Level 2 in the pay matrix		
			rendered after appointment thereto on a		
			regular basis subject to qualifying in the	1. Deputy Director	
		recruitment failing which		(Admn./Head Office) or	
			<b>Note 1:</b> Where juniors who have	General Manager or	
			completed their qualifying or eligibility		
			service are being considered for	muia i iess – Chairlliali	
			promotion, their senior shall also be	2. Senior most Deputy	,
			considered provided they are not short of		
			the requisite qualifying or eligibility service		
			by more than one year and have		
			successfully completed their probation	3. Senior most Assistant	
			period, if prescribed.	Manager (Administration)	
				–Member	
			<b>Note 2:</b> For the purpose of computing	Notes If any of the oferesaid	
			minimum qualifying service for promotion,	<b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are	
			the service rendered on a regular basis by		
			an officer prior to 1st January, 2016 or the	la aldina masta of the same	
			date from which the revised pay structure	designation and status on	
			based on the 7th Central Pay Commission	regular basis in other nearest	
			recommendations have been extended,		
			shall be deemed to be service rendered in		
			the corresponding level in the Pay Matrix	of the aforesaid Committee	
			extended based on the recommendations	and nearest Press is to be	
			of the pay commission.	decided in terms of the	
			Denutation	distance.	
			<b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector		
			Undertaking or Autonomous Bodies or State		
			Governments(including the		
			Department/Press) holding analogous		
			post on regular basis.		
			(or)		

Holding a post of Offset Machine Attendant in level 2 in pay matrix having eight years regular service. **Note 1:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations. **Note 2:** period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Absorption: Officials holding the posts in equivalent grade and have successfully completed training in operation of Offset Machine for six months and qualifying in Trade Test.

Name of the post	Number of posts			Whether selection post or non- selection post.		Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Machine Attendant (Offset)	(76) * (2024)	Non-Ministerial	the pay matrix (Rs.19900-		(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	(ii) certificate of successful completion of apprenticeship in Offset Machine Minder under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) or equivalent course under ITI; and (iii) one year experience in operation of Offset Machine doing single and multicolour printing work from a Printing Press having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of

	probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and		Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
promotees.		percentage of the vacancies to be filled by various methods			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	recruits.	promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment  (ii) 85% by direct recruitment	Labourer (Industrial Attendant) in Pay Level-1 (18000-56900) with three years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the trade test.  Note 1:  Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2:  For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation:  Officers of the Central Government -  (i) holding the analogous post in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) on regular service: or	Committee consisting of:-  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the	
			<b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		

appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Absorption: Officials holding the posts in equivalent grade and have successfully completed training in operation of Offset Machine for three months subject to qualifying in

Trade Test.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix		Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Silk Screen Operator	Two (02)* (2024) *(subject	General Central Service, Group 'C" (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in pay matrix (Rs.25500-81100)	the	Not applicable.	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment	Essential:  (i)Three years regular Diploma in printing technology from recognized Institute/University with one year experience in a Screen-printing work press having legal entity (or)  12th standard pass or equivalent from a recognized Board or equivalent and having five years of experience in Screen Printing Work doing single and multi-colour Silk Screen printing work; (or)  A certificate of successful completion of Apprenticeship under Apprenticeship Act 1961 (52 of 1961) in the relevant Trade with two years of experience in Screen printing work.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities
						Exicitatings to action to business are	be available to fill up the vacancy reserved for them.

educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	probation, if any,	recruitment, whether by directoric recruitment of promotion of deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods		Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	for Direct	promotion failing	Assistant Silk Screen Operator in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the Trade Test.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms	

dependant on work load)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba  Silk Screen Printing Process doing single and multicolour Silk Screen printing work;  (or)  A certificate of successful completion Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961(52) 1961) in the relevant Trade and one year experient of Silk screen printing.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authors and Pangi Sub-Division of Chamba in the case of candidates otherwise well qualified.	Name of the	Number of	Classification	Pay level in	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for
Assistant Two Silk Screen (02)* Operator (2024) General Central Level-2 in Not Service, Groupthe payapplicable. Operator (2024) (°C (Skilled), matrix Non-Gazetted, (Rs. 19900 – Non-Ministerial. 63200)  *(subject to variation dependant on work load)  *(sub) (Rs. 19900 – Non-Ministerial. 63200)  *(sub) (Relaxable for Government servants (ii) 10th Standard pass or equivalent from a recogniz upto 40 years in accordance with the Board or equivalent; and instructions or orders issued by the Central Government)  *(ii) Having three years of experience in operation Silk Screen Printing Process doing single and mul colour Silk Screen Printing Process doing single and mul colour Silk Screen printing Process doing single and mul operator (or)  *(au) (Au) (Au) (Au) (Au) (Au) (Au) (Au) (A	post	posts		Pay matrix	or non- selection		direct recruits
Silk Screen (02)* Operator (2024) Service, Group the pay applicable.  (Relaxable for Government servants (i) 10th Standard pass or equivalent from a recogniz upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  (ii) Having three years of experience in operation Silk Screen Printing Process doing single and multiplication from a recogniz upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  (iii) Having three years of experience in operation Silk Screen Printing Process doing single and multiplications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chambal in the case of candidates of the reviews well qualified.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked submit the names.  Note 2: The qualification(s) regarding experience relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the submit the sufficient number of candidates from the submit the names.	Silk Screen Operator	(02)* (2024) *(subject to variation dependant on work	Service, Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	the pay matrix (Rs.19900 -	applicable.	(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to	(i) 10th Standard pass or equivalent from a recognized Board or equivalent; and  (ii) Having three years of experience in operation of Silk Screen Printing Process doing single and multicolour Silk Screen printing work;  (or)  A certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961(52 of 1961) in the relevant Trade and one year experience of Silk screen printing.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy

educational if any, qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.		which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8) (9)  Not applicable. Two years for direct recruits.	(10) Hundred percent (100%) by direct recruitment		Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:  1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Technologist- Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

Name of the	Number of po	Classification	Pay level in	Whether select	Age limit for direct r	Educational and other qual	Whether age and educati
post	st		Pay matrix	ion post or non	ecruits	ifications required for direct	
				-selection post.		recruits	ibed for direct recruits wi
							ll apply in case of promot
							ees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Asstt.	One (01)*	General Central S	Level-5 in t	Non-Applicabl	Not-Applicable	Not-Applicable	Not-Applicable
Inspector (Co	(2023)	ervice, Group 'C'	he pay matrix	e			
ntrol)		Non-Gazetted, No	(				
	*(subject to va	n-Ministerial.	Rs.29200 -				
	riation depen		92300)				
	dent on work l						
	oad)						

Period of	Method	of n case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from	If a Departmental	Circumstances
	recruitment,	which promotion or deputation or absorption to be made.		in which Union
	whether by dire			Public Service
		or	1	Commission is
		or		to be consulted
	deputation/			in making
	1	nd		recruitment
	percentage of the			recruitment
		be		
	filled by various			
	methods			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not-	100%	by Deputation:	Group 'C' Selection	Not applicable
Applicable	Deputation		Committee consisting of:-	11
	1	Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State		
		Governments:	(Admn./Head Office) or	
			General Manager or	
		(i) Holding analogous posts (OR)	Manager of Government of	
		(ii) Section Holder (Bindery) in Level-5 of the Pay matrix (OR)	India Press – Chairman	
		(iii) Holding a post in the Press as Binder, Reader and Offset Machine Assistant		
		in Level-4 of the Pay matrix with five years regular service in the grade.	2. Senior most Deputy	
		The state of the s	Manager/ Technologist-	
		<b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct	Member	
		line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on	3. Senior most Assistant	
		deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by		
		promotion.	-Member	
		<b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-		
		cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some		
		other organization or department of the Central Government shall ordinarily		
		not exceed three years, extendable upto five years.	same Press are not	
		<b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not		
		exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	posts of the same	
		<b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis,	1*	
		the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016		
		(the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay		
		Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service		
		rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the		
		recommendations of the Pay commission except where there has been merger		
		of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade		
		pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for		
		which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any		
		upgradation.	distance.	
		Jupgrauauvii.		